**CNR NO. UPBJ010017742021**
**JO CODE UP01598**

**<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–08, बिजनौर।</u>**

सत्रवाद संख्या 372/2021

सरकार **बनाम** अकबर

मुकदमा अपराध संख्या 199/2020
धारा 21/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना मण्डावर, जनपद बिजनौर।

**<u>आरोप</u>**

मैं, शगुन पंवार, विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–08, बिजनौर आप अभियुक्त **अकबर** को निम्न आरोप से आरोपित करती हूँ:–

यह कि दिनांक 28–08–2020 को समय 20:30 बजे, बहद् स्थान लालपुर चौराहे से मैन रोड़ पर बिजनौर की तरफ करीब 40 कदम की दूरी पर, थाना मण्डावर व जनपद बिजनौर के क्षेत्रान्तर्गत आपको पुलिस पार्टी द्वारा पकड़ा गया तथा नियमानुसार आपकी जामा तलाशी लेने पर आपकी पहनी पैन्ट की दाहिनी जेब से 420 प्रतिबन्धित नशीली गोलियां ALPRAZOLAM TABLETS I.P. 0.5 Mg Becalm 0.5 बरामद हुई, जिनको रखने का आपके पास कोई लाईसेंस नहीं था। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 21/22 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आपका विचारण उक्त आरोप के लिये इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

**दिनांक: 09–11–2021** **(शगुन पंवार)**
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–08, बिजनौर।

अभियुक्त को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्त ने इंकार किया तथा परीक्षण की माँग की।

**दिनांक: 09–11–2021** **(शगुन पंवार)**
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–08, बिजनौर।

Digitally signed by Shagun Panwar
Date: 2021.11.09 15:23:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

**<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–08, बिजनौर।</u>**

सत्रवाद संख्या 372/2021

सरकार **बनाम** अकबर

मुकदमा अपराध संख्या 199/2020
धारा 21/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना मण्डावर, जनपद बिजनौर।

**<u>दिनांकः 09–11–2021</u>**

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त अकबर उपस्थित आया।

अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने के बिन्दु पर राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एन0डी0पी0एस0 एक्ट) तथा अभियुक्त के अधिवक्ता को सुना।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एन0डी0पी0एस0 एक्ट) ने धारा 226 दं0प्र0सं0 अपना कथन आरंभ करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाली पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का उल्लेख किया। पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का समयक् विचार करने के उपरान्त मैं इस मत पर पहुंचती हूं कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 21/22 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का युक्तियुक्त पर्याप्त साक्ष्य प्रथम दृष्टया विद्यमान है। तदनुसार आरोप विरचित किया जाता है।

विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–08, बिजनौर।

अभियुक्त अकबर के विरूद्ध धारा 21/22 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उसने इनकार किया तथा विचारण की मांग की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 14–12–2021 को पेश हो। नियत दिनांक को गवाह तलब हों।

विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–08, बिजनौर।